VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान एक आघात-सहनीय और मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाने के अपने प्रयास को जारी रखा। नवाचार को बढ़ावा देने और उन्नत और प्रौद्योगिकी-सक्षम पर्यवेक्षी साधनों के उपयोग पर अधिक ध्यान देने के साथ-साथ साइबर आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। शिकायत निवारण फ्रेमवर्क को और बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए गए।

VI.1. वर्ष के दौरान घरेलू वित्तीय व्यवस्था स्थिर और मजबूत रही। रिज़र्व बैंक ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ एक प्रभावी और कुशल पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। विनियामकीय फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं के अनुसार सुधारा गया।

VI.2. यह अध्याय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए विनियामकीय और पर्यवेक्षी उपायों पर चर्चा करता है। विनियमन विभाग (डीओआर) ने मौजूदा विनियामकीय अनुदेशों को समेकित करने के लिए प्रमुख कार्य किए। फिनटेक विभाग ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) पायलट, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) और MuleHunter.ai™ के क्षेत्र और पहुँच का विस्तार किया, जबकि पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) ने वित्तीय प्रणालियों की साइबर मैपिंग को और सक्षम बनाने के लिए उपाय शुरू किए। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा।

VI.3. इस अध्याय के शेष भाग को पाँच खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 वित्तीय स्थिरता विभाग (एफ़एसडी) के जनादेश और कार्यों से संबंधित है। खंड 3 फिनटेक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ डीओआर द्वारा किए गए विनियामकीय उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। खंड 4 में डीओएस द्वारा किए गए पर्यवेक्षी उपायों और प्रवर्तन विभाग (ईएफ़डी) द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों को शामिल किया गया है। खंड 5 उपभोक्ता हितों की रक्षा, जागरूकता फैलाने और उपभोक्ता विश्वास को बनाए रखने में सीईपीडी और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। वर्ष 2026-27 के लिए इन विभागों की संबंधित कार्य-सूचियों को इस अध्याय के संबंधित खंडों में शामिल किया गया है। समापन टिप्पणियां अंतिम खंड में दी गई हैं।

2. वित्तीय स्थिरता विभाग (एफ़एसडी)

VI.4. एफएसडी व्यापक वित्तीय स्थिरता के जोखिमों की निगरानी करता है और व्यापक विवेकपूर्ण निगरानी करके वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता का आकलन करता है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफ़एसडीसी-एससी) की उप-समिति के सचिवालय के रूप में काम करता है, जो एक अंतर-विनियामकीय संस्थागत मंच है जो वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास और अंतर-विनियामकीय समन्वय के मामले को देखता है। एफएसडी अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) जारी करता है, जो भारत में वित्तीय स्थिरता के लिए प्रमुख समष्टि-वित्तीय जोखिमों के एफएसडीसी-एससी के सामूहिक मूल्यांकन को प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.5. विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क को और अधिक कारगर बनाने के लिए, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए एक चलनिधि दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क इन-हाउस विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) क्षेत्र (टियर-3 और टियर-4) का भी समष्टि दबाव परीक्षण किया जाएगा। दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क का विस्तार करने के अलावा, विभाग प्रमुख कार्बन गहन क्षेत्रों पर जलवायु संक्रमण जोखिम के प्रभाव और उत्सर्जन गहन क्षेत्रों के संपर्क में आने वाले बैंकों के तुलन-पत्र पर इसके प्रभाव का आकलन करने की भी योजना बना रहा है (पैराग्राफ VI.6 - VI.7); और
- 'ग्रोथ-एट-रिस्क' मॉडल को यह समझने के लिए विकसित किया जाएगा कि वित्तीय स्थितियां और वित्तीय भेद्यताओं का स्तर वर्तमान समष्टि-आर्थिक स्थितियों को भविष्य की संवृद्धि के वितरण से जोड़कर कमजोर आर्थिक वृद्धि के भविष्य के एपिसोड की संभावना में कैसे योगदान करता है (पैराग्राफ VI.7)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.6. एनबीएफसी के लिए चलनिधि दबाव परीक्षण ढांचा विकास के एक उन्नत चरण में है। विभाग ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के अनुरूप यूसीबी क्षेत्र (टियर-3 और टियर-4) के लिए एक व्यापक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क विकसित करने की व्यवहार्यता की खोज पूरी कर ली है।

VI.7. सूचीबद्ध कंपनियों की परिधि 1 उत्सर्जन[1] पर डेटा का उपयोग करके प्रमुख कार्बन गहन क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन जोखिमों का आकलन किया गया है। काल्पनिक दबाव परिदृश्यों का उपयोग करते हुए, फर्मों के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर ऐसे जोखिमों के प्रभाव और बैंकों पर परिणामी प्रभाव-विस्तार का आकलन किया गया है। विभाग ने भारत की जीडीपी वृद्धि के जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए आईएमएफ के 'ग्रोथ-एट-रिस्क' फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए एक मॉडल भी विकसित किया है।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.8. आने वाले वर्ष में, विभाग निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- वित्तीय नेटवर्क और विस्तार विश्लेषण के वर्तमान फ्रेमवर्क की समीक्षा और सुधार करना; और
- प्रमुख क्षेत्रों के लिए काल्पनिक दबाव परिदृश्यों का उपयोग करके जलवायु संक्रमण जोखिमों का आकलन करना।

3. वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

विनियमन विभाग

VI.9. विनियमन विभाग वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई)[2] के विनियमन के लिए नोडल विभाग है, जिसका उद्देश्य लागत प्रभावी और समावेशी वित्तीय सेवाओं के साथ एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करना भी है।

[1] उत्सर्जन जो उन स्रोतों से होता है जो किसी संगठन द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व में होते हैं।

[2] निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी)।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.10. विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- विनियमित संस्थाओं (आरई) को 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' पर सामंजस्यपूर्ण विनियम जारी करना [पैराग्राफ VI.11];
- ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा जारी सभी गैर-निधि आधारित (एनएफबी) आकस्मिक सुविधाओं की व्यापक समीक्षा (पैराग्राफ VI.12);
- 9 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आरई के बीच सभी प्रकार की सह-ऋण व्यवस्था के लिए एक मसौदा विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों की जांच के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे (पैराग्राफ VI.13);
- *दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए फ्रेमवर्क:* जनवरी 2023 में चर्चा पत्र जारी किया गया था, जिस पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। उसी के आधार पर, 9 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा फ्रेमवर्क जारी किया गया और उसी की जांच के बाद अंतिम दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है (पैराग्राफ VI.14);
- अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) फ्रेमवर्क पर मसौदा दिशानिर्देश (पैराग्राफ VI.11);
- *बासेल III कार्यान्वयन का अंतिम चरण:* (ए) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर मसौदा दिशानिर्देश जारी करना; (ख) बाजार जोखिम के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी करना; और (सी) बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के बासेल III फ्रेमवर्क के साथ संरेखण में स्तंभ 3 प्रकटीकरण आवश्यकताओं को अद्यतन करना [पैराग्राफ VI.15 तथा VI.16];
- प्रतिपक्ष ऋण जोखिम (एसए-सीसीआर) के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशानिर्देश जारी करना [पैराग्राफ VI.17];
- मॉडल जोखिम प्रबंधन पर विनियामकीय सिद्धांत (पैराग्राफ VI.18);
- बैंकों के लिए जलवायु जोखिम पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी करना। इसमें जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों के प्रकटीकरण पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करना और जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और दबाव परीक्षण पर मार्गदर्शन शामिल है (पैराग्राफ VI.19);
- डेटा रिपॉजिटरी का परिचालन - रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) [पैराग्राफ VI.19];
- जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांतों को जारी करना (पैराग्राफ VI.19);
- हरित जमा की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क की समीक्षा (पैराग्राफ VI.19);
- स्थिरता से जुड़े ऋणों पर दिशानिर्देश (पैराग्राफ VI.19);
- आरई (उनके स्वयं के साथ-साथ तीसरे पक्ष) द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री को रोकने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश [पैराग्राफ VI.20];
- अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मास्टर निदेश पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' जारी करना [पैराग्राफ VI.21];
- सभी बैंकों के लिए इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पर विनियमों की समीक्षा (पैराग्राफ VI.22);
- टाइप I- एनबीएफसी, अर्थात, सार्वजनिक निधि और ग्राहक इंटरफेस के बिना एनबीएफसी के लिए विभेदित विनियामकीय फ्रेमवर्क - (पैराग्राफ VI.23);

- किसी भी विनियमित इकाई के विनियमन के लिए एक जीवनचक्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विनियामक एप्लिकेशनों के अपने आंतरिक प्रसंस्करण के एंड-टू-एंड डिजिटल परिवर्तन को शुरू करने के लिए 'रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम' (आरएएमएस) नामक एक मंच का विकास (पैराग्राफ VI.24); तथा
- संस्था-वार मास्टर निदेशों में विनियामकीय मामलों पर मौजूदा दिशानिर्देशों का समेकन (पैराग्राफ VI.25)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.11. ईसीएल मानदंडों के 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण' पर अंतिम सामंजस्यपूर्ण विनियम 27 अप्रैल 2026 को जारी किए गए थे। इन निदेशों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, आस्ति वर्गीकरण के लिए एक स्तर-वार फ्रेमवर्क शुरू करने, भविष्योन्मुखी प्रावधान दृष्टिकोण अपनाने और प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति अपनाने का प्रावधान है। इनका उद्देश्य ऋण जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को और मजबूत करना, विनियमित संस्थाओं के बीच तुलनात्मकता में सुधार करना और विनियामकीय फ्रेमवर्क को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग सिद्धांतों के साथ अधिक निकटता से संरेखित करना है।

VI.12. एनएफबी ऋण सुविधाओं जैसे गारंटी, साख पत्र और सह-स्वीकृति पर व्यापक दिशानिर्देश 6 अगस्त 2025 को जारी किए गए थे। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक गारंटियों को मान्यता दी गई है, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) द्वारा गारंटी जारी करने की विशिष्ट सीमाओं सहित विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों को पेश किया गया है। दिशानिर्देश आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) जारी करने के लिए अनुमत विनियमित संस्थाओं की सूची का विस्तार करते हैं और पीसीई के लिए पूंजी आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाते हैं।

VI.13. सह-ऋण पर मौजूदा दिशानिर्देश प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों तक सीमित थे। तदनुसार, सह-ऋण पर संशोधित निर्देश, सभी ऋणों के लिए फ्रेमवर्क का विस्तार करते हुए, 6 अगस्त 2025 को जारी किए गए थे। निदेशों में मूल और भागीदार आरई की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है, सह-ऋण समझौते (सीएलए) के तहत आरई द्वारा रखे जाने वाले व्यक्तिगत ऋणों के न्यूनतम हिस्से में 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कमी निर्धारित की गई; और प्रथम-हानि चूक गारंटी कवर को 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

VI.14. दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के मसौदे के फ्रेमवर्क पर प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों की विस्तार से जांच की गई। विशिष्ट पहचान किए गए हितधारकों के साथ आगे परामर्श किया जा रहा है।

VI.15. ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार पर मसौदा निदेश- बासेल III मानकों के तहत मानकीकृत दृष्टिकोण 7 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे, और फीडबैक की जांच के बाद अंतिम निदेश 27 अप्रैल 2026 को जारी किए गए थे। प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों में, *अन्य बातों के साथ-साथ,* जोखिम-भार के लिए अधिक विस्तृत और जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण शुरू करना, अनरेटेड एमएसएमई कवरेज का विस्तार और गैर-बाज़ार तुलन पत्रेतर एक्सपोजर के लिए ऋण परिवर्तन कारकों का पुनर्संरेखण शामिल है। संशोधित मानकों को 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है।

VI.16. मसौदा दिशानिर्देशों पर प्राप्त फीडबैक और प्रस्तावित दिशानिर्देशों के प्रभाव विश्लेषण के आधार पर बाज़ार जोखिम दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बासेल III फ्रेमवर्क के अनुरूप स्तंभ 3 प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर मसौदा दिशानिर्देश 19 मई 2026 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए हैं।

VI.17. एसए-सीसीआर दिशानिर्देशों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें दिशानिर्देशों का विस्तृत प्रभाव अध्ययन पहले ही पूरा हो चुका है।

VI.18. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करने वाले मॉडलों सहित सभी मॉडलों पर लागू मॉडल जोखिम प्रबंधन पर मसौदा निदेश, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्तरदायी और नैतिक सक्षमता के लिए फ्रेमवर्क (एफआरईई-एआई) समिति की सिफारिशों को भी विधिवत शामिल करते हुए पूरा होने के अंतिम चरण में हैं।

VI.19. प्रकटीकरण मानदंडों, परिदृश्य विश्लेषण, दबाव परीक्षण मार्गदर्शन, आरबी-सीआरआईएस डेटा रिपॉजिटरी सहित जलवायु संबंधी पहलों का एक समूह, व्यापक इकोसिस्टम क्षमता और परिपक्वता में प्रगति के साथ कार्यान्वयन के उन्नत चरणों में है।

VI.20. वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए 'विनियमित संस्थाओं द्वारा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विज्ञापन, विपणन और बिक्री' पर मसौदा संशोधन निदेश सार्वजनिक परामर्श के लिए 11 फरवरी 2026 को जारी किए गए हैं।

VI.21. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) पर मास्टर निदेश पर 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' 9 जून 2025 को जारी किए गए थे। इन्हें अब केवाईसी निदेश, 2025 में उचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

VI.22. 'डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण, 2025' पर मसौदा निदेश 21 जुलाई 2025 को जारी किए गए थे, जिसमें मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सहित सभी डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए विवेकपूर्ण और तकनीकी मानदंडों को अद्यतन किया गया था। हितधारकों के विचारों की विस्तृत जांच के आधार पर, इकाई-वार अंतिम मास्टर निदेश (एमडी) बाद में 28 नवंबर 2025 को जारी किए गए, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे।

VI.23. सार्वजनिक निधि तक पहुंच नहीं रखने वाली और ग्राहक इंटरफेस ('टाइप I एनबीएफसी' सहित) न रखने वाली एनबीएफसी पर लागू विनियामक फ्रेमवर्क की व्यापक समीक्षा की गई है और 10 फरवरी 2026 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा संशोधन निदेश जारी किए गए, *जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ,* निर्दिष्ट शर्तों और अन्य संबंधित पहलू के अधीन ₹1,000 करोड़ से कम की आस्ति के आकार वाली इन एनबीएफसी को पंजीकरण आवश्यकता से छूट देने का प्रस्ताव किया गया था। सार्वजनिक टिप्पणियों/फीडबैक की विस्तृत जांच के आधार पर, अंतिम संशोधन निदेश 29 अप्रैल 2026 को जारी किए गए थे।

VI.24. आरएएमएस परियोजना को विभाग भर में तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण के लिए आवश्यकताओं का संकलन और तकनीकी विकास कार्य पूर्ण हो चुका है और कार्यान्वयन के लिए तैयार है। साथ ही, द्वितीय चरण के लिए आवश्यकताओं का संकलन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

VI.25. 'विनियमों का समेकन' अभ्यास के तहत, 11,000 से अधिक निर्देशों को 11 प्रकार के आरई में 'जैसा है' के आधार पर 244 एमडी (सात प्रकार के आरई के लिए 'डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण' पर 237 के साथ सात नए एमडी) में समेकित किया गया था, और विभिन्न विनियामकीय क्षेत्रों में एकजुट रूप से आयोजित किए गए थे (बॉक्स VI.1)। ये एमडी विभाग द्वारा प्रशासित विनियमों के एकमात्र संग्रह के रूप में काम करेंगे। समेकन अभ्यास से आरई के लिए अनुपालन लागत कम होने और व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक बड़ा कदम होने की उम्मीद है।

प्रमुख गतिविधियां[3]

चलनिधि मानकों पर बासेल III फ्रेमवर्क- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानदंड

VI.26. बैंकों की अल्पकालिक चलनिधि आघात-सहनीयता को मजबूत करने और बासेल III चलनिधि मानकों के साथ

[3] यह उप-खंड डीओआर द्वारा जारी किए गए प्रमुख परिपत्रों/दिशानिर्देशों पर प्रकाश डालता है। इस रिपोर्ट का अनुबंध I अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान नीतिगत घोषणाओं का एक व्यापक विभाग-वार घटनाक्रम प्रदान करता है।

बॉक्स VI. I
विनियामक संचार - एक प्रतिमान परिवर्तन

विनियामक दृष्टिकोण से, रिज़र्व बैंक एक स्थिर वित्तीय प्रणाली स्थापित करने और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किए गए एक सुदृढ़ फ्रेमवर्क को लागू करता है। बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की बढ़ती जटिलता और विनियामक पैरामीटर के विस्तार के साथ, विनियामक निर्देशों में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, जिससे आरई के लिए अनुपालन बोझ और हितधारकों के लिए पहुंच में कठिनाई हुई। पहुंच में आसानी लाने और मास्टर निदेशों (एमडी) की इष्टतम संख्या बनाए रखने के लिए, रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अपने विनियामक अनुदेशों को एमडी में समेकित करने के लिए एक प्रमुख अभ्यास किया है, जिसमें सभी मौजूदा विनियामकीय उपायों/आवश्यकताओं को शामिल किया गया।

समेकन की कवायद 'जैसा है' के आधार पर की गई थी, अर्थात किसी भी विनियामक निर्देशों की समीक्षा किए बिना। विनियामक निर्देशों के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रत्येक प्रकार के आरई के लिए प्रयोज्यता के आधार पर अलग-अलग एमडी तैयार किए गए। 11,000 से अधिक परिपत्रों/अनुदेशों की जांच की गई और उन्हें 244 एमडी में समेकित किया गया, 11 प्रकार के आरई (सारणी) में विनियामक अनुदेशों के लगभग 30 कार्यों/क्षेत्रों को शामिल किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने जैसे विनियमित और प्रशासनिक अनुदेशों को अलग-अलग परिपत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया और संदर्भ में आसानी के लिए वेबसाइट पर एक ही स्थान पर एकत्रित किया गया। नाबार्ड के परामर्श से, आरआरबी, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को जारी किए गए विनियामक निर्देशों को भी समेकित किया गया था। समेकन के बाद, विनियमन के क्षेत्र में 9,445 परिपत्रों (मास्टर परिपत्रों/एमडी सहित) को निरस्त कर दिया गया।

सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर एमडी का मसौदा अपलोड किया गया, और विभिन्न हितधारकों से 770 से अधिक टिप्पणियां प्राप्त हुईं। 28 नवंबर 2025 को वेबसाइट पर समेकित अंतिम एमडी जारी करने से पहले प्रारूपण त्रुटियां, अनुदेशों का दोहराव, छोटी-मोटी चूक आदि जैसे प्रासंगिक सुझावों पर विचार किया गया।

परिपत्रों के समेकन और परिणामी निरसन से आरई के लिए विनियामक अनुदेशों की पहुंच में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे उनकी अनुपालन लागत कम हो जाएगी, साथ ही प्रत्येक प्रकार के आरई के लिए प्रत्येक विनियामक अनुदेशों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता में सुधार होगा। इस कार्य को मीडिया में व्यापक कवरेज मिला, जिसमें अधिकांश प्रतिक्रियाओं ने इन विनियमों की पहुंच को आसान बनाने और भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम विनियामक सुधारों को जारी रखने की आवश्यकता की ओर इशारा किया।

समेकन प्रक्रिया के बाद, विनियमन विभाग ने समयबद्ध तरीके से विनियमों की संरचित और व्यवस्थित समीक्षा सुनिश्चित करने के अधिदेश के साथ एक विनियामकीय समीक्षा प्रकोष्ठ (आरआरसी) का गठन किया। विनियमन पर सलाहकार समूह के चैनल के माध्यम से विनियमों की आंतरिक समीक्षा, मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में एक कार्यात्मक क्षेत्र के लिए जारी किए गए मास्टर निदेशों की समीक्षा के साथ शुरू हुई।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी: समेकन अभ्यास के बाद मास्टर निदेशों की नई संख्या

विनियमित इकाई	मास्टर निदेशों की संख्या
1. वाणिज्यिक बैंक	32
2. लघु वित्त बैंक	30
3. भुगतान बैंक	17
4. स्थानीय क्षेत्र बैंक	25
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22
6. शहरी सहकारी बैंक	26
7. ग्रामीण सहकारी बैंक	25
8. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान	19
9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	35
10. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां	4
11. क्रेडिट सूचना कंपनियां	2
डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण[#]	7
कुल	**244**

[#]: डिजिटल बैंकिंग चैनलों की प्राधिकृति से संबंधित सात नए आरई-वार एमडी जारी किए गए।

स्रोत: आरबीआई।

बेहतर तालमेल बिठाने के लिए, 21 अप्रैल 2025 के परिपत्र के माध्यम से एलसीआर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हुआ। प्रमुख परिवर्तनों में शामिल हैं: (i) इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा वाले गैर-वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से खुदरा जमा और असुरक्षित थोक वित्तपोषण के लिए 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर;

(ii) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत मार्जिन आवश्यकताओं के अनुरूप स्तर 1 उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के रूप में वर्गीकृत सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के बाज़ार मूल्यों पर कटौती; और (iii) यह स्पष्ट करना कि अन्य कानूनी संस्थाओं (ओएलई) श्रेणी में बैंकों/बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय में कार्यरत संस्थाओं से सभी जमा और अन्य वित्तपोषण शामिल होंगे।

विनियमों और विनियामकीय समीक्षा तंत्र के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क

VI.27. 7 मई 2025 को जारी विनियमों के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क, एक मानकीकृत, पारदर्शी और परामर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमों के निर्माण, संशोधन और समीक्षा के लिए व्यापक सिद्धांत निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, विनियमों की आवधिक, संरचित समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामकीय समीक्षा प्रकोष्ठ और विनियमन पर एक बाह्य सलाहकार समूह (एजीआर) के गठन के माध्यम से 1 अक्टूबर 2025 से एक संस्थागत तंत्र का परिचालन किया गया है। इसके अलावा, प्रक्रिया को और अधिक परामर्शी बनाने के उद्देश्य से नीति निर्माण और समीक्षा में हितधारकों की भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) निदेश, 2025

VI.28. मौजूदा निर्देशों को सुव्यवस्थित करने और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के लिए 8 मई 2025 को डिजिटल ऋण पर अंतिम समेकित निदेश जारी किए गए। फ्रेमवर्क दो प्रमुख सुधारों को पेश करता है: (i) मानकीकृत प्रकटीकरण के साथ सभी मिलान किए गए ऋण प्रस्तावों का व्यापक डिजिटल प्रदर्शन और साथ ही बेमेल ऋणदाता (ऋणदाताओं) के नाम (ओं) का भी; और (ii) उधारकर्ता सत्यापन को सक्षम करने और अनधिकृत ऋण आवेदनों पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप (डीएलए) की एक सार्वजनिक निर्देशिका का परिचालन।

स्वर्ण और चांदी के संपार्श्विक के बदले ऋण

VI.29. 6 जून 2025 को अंतिम निदेश जारी किए गए थे ताकि आरई में विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी कमियों को दूर किया जा सके और छोटे मूल्य के ऋणों की आवश्यकता वाले उधारकर्ताओं के लिए ऋण उपलब्धता में सुधार किया जा सके। इस फ्रेमवर्क में ऋण-और-मूल्य (एलटीवी) अनुपात को संशोधित किया गया है (₹2.5 लाख तक के ऋणों के लिए 85 प्रतिशत और ₹2.5 लाख से अधिक लेकिन ₹5 लाख तक के ऋणों के लिए 80 प्रतिशत, ₹5 लाख से अधिक के ऋणों के लिए पिछली 75 प्रतिशत की सीमा को जारी रखते हुए) और सहकारी बैंकों और आरआरबी पर स्वर्ण के बदले ऋणों के एकमुश्त पुनर्भुगतान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें) निदेश, 2025 की समीक्षा

VI.30. ग्राहकों के साथ-साथ विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए 'केवाईसी' और 'केवाईसी के अपडेशन' की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए, 12 जून 2025 और 14 अगस्त 2025 को निर्देश जारी किए गए। प्रमुख सुधारों में शामिल हैं: (i) केवाईसी के लिए पहले संदर्भ बिंदु के रूप में सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर); (ii) केवाईसी अद्यतन के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) का उपयोग; (iii) दिव्यांग व्यक्तियों सहित जनता, विशेष रूप से आर्थिक/सामाजिक रूप से वंचित लोगों को सेवाओं से वंचित नहीं करना; (iv) कम जोखिम वाले एकल ग्राहकों के लिए अनुमत सभी लेनदेन और नियत तिथि से एक वर्ष के भीतर या 30 जून 2026, जो भी बाद में हो, केवाईसी को अपडेट करना; और (v) केवाईसी के आवधिक अद्यतन की अनिवार्य सूचनाएं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (परियोजना वित्त) निदेश, 2025

VI.31. परियोजना वित्त में दबाव के समाधान के लिए एक सिद्धांत-आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए 19 जून 2025 को अंतिम निदेश जारी किए गए। प्रमुख उपायों में आस्ति वर्गीकरण में गिरावट के बिना वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने

की तिथि (डीसीसीओ) को स्थगित करने की अनुमति देना [गैर-अवसंरचना के लिए 2 वर्ष तक और अवसंरचना के लिए 3 वर्ष तक] और जोखिम न्यूनीकरण संबंधी आवश्यकताएं जैसे अनिवार्य सामान्य ऋण करार, संवितरण से पहले न्यूनतम भूमि उपलब्धता और ऋणदाता की बढ़ी हुई भागीदारी शामिल थी।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश

VI.32. आरई के अकेले योगदान को आधारभूत निधि के 10 प्रतिशत (आरई में सामूहिक रूप से 20 प्रतिशत) तक सीमित करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश 29 जुलाई 2025 को जारी किए गए। देनदार कंपनियों में डाउनस्ट्रीम निवेश के साथ एआईएफ में निवेश करने के लिए आरई को कुछ लचीलापन प्रदान किया गया है।

ऋण पर पूर्व-भुगतान शुल्क

VI.33. अंतिम निर्देश 2 जुलाई 2025 को जारी किए गए, जिसमें व्यक्तियों और एमएसई (सीमा के अधीन) के निर्दिष्ट अस्थायी दर ऋणों पर पूर्व-भुगतान शुल्क हटा दिया गया, और प्रतिबंधात्मक संविदात्मक प्रथाओं पर भी कार्रवाई की गई।

बैंकों के मृत ग्राहकों से संबंधित दावों का निपटारा

VI.34. अंतिम निर्देश 26 सितंबर 2025 को जारी किए गए, जिसमें मृतक ग्राहक के जमा खातों, सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं के संबंध में नामांकित व्यक्तियों और कानूनी वारिसों के लिए दावा निपटान को आसान बनाने के लिए मानकीकृत दस्तावेज़ीकरण के साथ एक सामंजस्यपूर्ण फ्रेमवर्क स्थापित किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2025

VI.35. अस्थायी दर ऋण को अभिशासित करने वाले अंतिम फ्रेमवर्क में 29 सितंबर 2025 को संशोधन किया गया ताकि बैंकों को क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को हटाकर स्प्रेड घटकों को ग्राहक प्रतिधारण के लिए, उचित आधार पर, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से और बैंक की नीति के अनुसार, तीन वर्ष में एक बार से कम अंतराल पर कम करने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा, आरई, अपने विकल्प पर, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, रीसेट के समय उधारकर्ताओं को निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

त्वरित भुगतान की सुविधा के लिए योजना - निष्क्रिय खाते और अदावी जमा राशियां

VI.36. बैंकों को ग्राहकों/जमाकर्ताओं से उनके निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए) कोष में पड़ी उनकी अदावी राशि की वापसी के लिए सक्रिय रूप से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'त्वरित भुगतान सुविधा - निष्क्रिय खाते और अदावी जमा' योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा अदावी जमाओं की संख्या और डीईए कोष में नए प्रवाह की वृद्धि दोनों को कम करना है। यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात् 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025

VI.37. वैश्विक बाधाओं से उत्पन्न निर्यात पर व्यापार व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए, पात्र उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए 14 नवंबर 2025 को व्यापार राहत उपाय जारी किए गए। इन उपायों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, शामिल हैं: (ए) 1 सितंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 के बीच सावधि ऋण में देय सभी किस्तों (मूलधन और/या ब्याज) पर ऋण-स्थगन; (बी) इस अवधि के दौरान सभी कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में लागू ब्याज की वसूली को स्थगित करना; और (सी) स्थगन/अधिस्थगन अवधि के दौरान उपार्जन के आधार पर लेकिन साधारण ब्याज के रूप में ब्याज लागू होना।

स्वर्ण धातु ऋण

VI.38. संशोधित अंतिम अनुदेश 4 दिसंबर 2025 को जारी किए गए। पात्र उधारकर्ताओं के दायरे का विस्तार ज्वैलर्स की एक व्यापक श्रेणी को शामिल करने के लिए किया गया था

(अर्थात, ऐसी संस्थाएं जो घरेलू और/या निर्यात बाजारों में आभूषण बनाती हैं और/या बेचती हैं), और गैर-निर्यातकों के लिए पुनर्भुगतान अवधि को 270 दिनों तक बढ़ा दिया गया, जो कार्यशील पूंजी चक्र (पहले के 180 दिनों से ऊपर की ओर संशोधित) के साथ संरेखित किया गया।

बाजार तंत्र के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने के दिशा-निर्देशों को निरस्त करना

VI.39. बड़े उधारकर्ताओं की बैंक निर्भरता को कम करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद मौजूदा दिशानिर्देशों को 4 दिसंबर 2025 को 1 जनवरी 2026 से निरस्त कर दिया गया। बैंकों को अब अत्यधिक लीवरेज्ड बड़े एक्सपोजर से जोखिमों की आंतरिक निगरानी करने की आवश्यकता है।

सहकारी बैंकों के लिए व्यापार प्राधिकरण

VI.40. सहकारी बैंकों के लिए व्यापार प्राधिकरण पर अंतिम निदेश 4 दिसंबर 2025 को जारी किए गए, जिसमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए, सहकारी बैंकों को मजबूत सुरक्षा उपायों को शामिल करते हुए बढ़ी हुई परिचालन स्वायत्तता के साथ सशक्त बनाया गया। प्राधिकरण मानदंडों में सुविचारित छूट का उद्देश्य ऋण पहुंच का विस्तार करना, प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों का लाभ उठाना और स्थानीय विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करना है।

सामान्य बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खातों पर दिशानिर्देशों की समीक्षा

VI.41. 4 दिसंबर 2025 को संशोधित अंतिम दिशानिर्देश जारी किए गए, जिनमें बीएसबीडी खाते में मिलने वाले लाभों को बढ़ाया गया है, जिनमें विस्तारित मुफ्त सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग तक पहुंच, सरलीकृत रूपांतरण और अन्य खाते रखने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना शामिल है।

नकद ऋण खातों, चालू खातों और ओवरड्राफ्ट खातों का रखरखाव

VI.42. ऋण अनुशासन को मजबूत करने और नकद ऋण खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाने के साथ लेनदेन और निधियों के उपयोग की बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए 11 दिसंबर 2025 को अंतिम संशोधित निर्देश जारी किए गए। जिन बैंकों की न्यूनतम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी है (या तो बैंकिंग प्रणाली के किसी उधारकर्ता के लिए कुल एक्सपोजर में या किसी उधारकर्ता के लिए बैंकिंग प्रणाली के कुल फंड-आधारित एक्सपोजर में) बिना किसी प्रतिबंध के चालू खाते और ओवरड्राफ्ट खाते रख सकते हैं। मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बैंक वसूली खातों को रख सकते हैं।

संबंधित पक्षों को ऋण देना

VI.43. अभिशासन और विवाद प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 5 जनवरी 2026 को संशोधित अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रमुख सुधारों में बोर्ड पर समग्र उत्तरदायित्व, संबंधित पक्षों का अनिवार्य रूप से अलग रहना और लेन-देन जोखिमों से निपटने के लिए 'पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्ति' की अवधारणा शामिल है।

सहकारी बैंकों के निदेशक के निरंतर कार्यकाल की अधिकतम सीमा

VI.44. यूसीबी और ग्रामीण सहकारी समितियों के अभिशासन से संबंधित 8 जनवरी 2026 को मसौदा संशोधन निदेश जारी किए गए थे, जो एक निदेशक के उसी बैंक के बोर्ड में फिर से शामिल होने से पहले 10 वर्ष के निरंतर कार्यकाल के बाद तीन वर्ष की विराम अवधि को अनिवार्य करता है। यह उपाय इस क्षेत्र में कॉर्पोरेट अभिशासन को मजबूत करता है, जबकि अभी भी निदेशकों को विराम अवधि के दौरान अन्य बैंकों के बोर्डों में सेवा करने की अनुमति देता है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत के उपाय

VI.45. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित एक्स्पोज़र पर 27 जनवरी 2026 को संशोधित मसौदा निदेश जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश आरई को समाधान ढांचे को लागू करने के लिए निर्धारित समर्पित विंडो के साथ समाधान योजनाओं को डिजाइन और कार्यान्वित करने का अधिकार देते हैं।

पुनर्गठित एक्सपोजर 'मानक' वर्गीकरण, उपार्जन-आधारित आय निर्धारण और अन्य पुनर्गठित आस्तियों की तुलना में कम अतिरिक्त प्रावधान को बनाए रखते हैं। अंतिम निदेश 29 अप्रैल 2026 को जारी किए गए।

यूसीबी के लिए ऋण मानदंडों की समीक्षा

VI.46. मसौदा निदेश 10 फरवरी 2026 को जारी किए गए, जिन्हें जनता की प्रतिक्रिया की जांच के बाद 29 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम निदेशों में अद्यतन किया गया। निदेशों में अप्रतिभूतित अग्रिमों की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया गया है, अप्रतिभूतित अग्रिमों (व्यक्तिक और बैंक स्तर[4]) के लिए ऋण सीमा में वृद्धि की गई है, कुछ प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है और टियर 3 और टियर 4 यूसीबी के लिए आवास ऋण की अवधि और अधिस्थगन आवश्यकताओं को अविनियमित किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक (पूंजी बाजार एक्सपोजर) संशोधन निदेश, 2026

VI.47. संशोधित फ्रेमवर्क 30 मार्च 2026 (1 जुलाई 2026 से प्रभावी) को जारी किया गया। प्रमुख परिवर्तनों में व्यक्तियों को प्रतिभूतियों के बदले ऋण देने के लिए तर्कसंगत सीमाएं, पूंजी बाजार मध्यस्थों के लिए एक्सपोजर के लिए अद्यतन मानदंड और विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों के अधीन कंपनियों में नियंत्रण हासिल करने के लिए बैंक वित्तपोषण की अनुमति देना शामिल है।

डिजिटल लेन-देन में ग्राहक दायित्व को सीमित करने वाले फ्रेमवर्क की समीक्षा

VI.48. अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करने के निर्देशों की समीक्षा की गई और 6 मार्च 2026 को मसौदा निर्देश जारी किए गए, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन की अन्य श्रेणियों को कवर करने के लिए ग्राहकों की देयता को सीमित करने पर मौजूदा निर्देशों के दायरे को बढ़ाया गया, धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने में बैंकों द्वारा लगने वाले समय को कम किया गया और छोटे मूल्य के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए एक मुआवजा तंत्र पेश किया।

लाभांश की घोषणा पर दिशा-निर्देशों की समीक्षा

VI.49. रिज़र्व बैंक ने 10 मार्च 2026 को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा पर संशोधित निर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उच्च निवल लाभ, कम निवल एनपीए और पूंजी पर्याप्तता के मामले में वाले बैंकों को उच्च लाभांश घोषित करने के लिए पात्र बनने में सक्षम बनाना है।

2026-27 के लिए कार्य-सूची

VI.50. वर्ष 2026-27 के दौरान, विभाग निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) फ्रेमवर्क का सुदृढ़ीकरण: आरई द्वारा ग्राहक पहचान प्रक्रिया विश्वास स्तर (सीसीएल) फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन;
- अपतटीय स्थानों से अनिवासी भारतीय ग्राहकों को शामिल करने के लिए वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) का विस्तार करना;
- जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर निदेशों की समीक्षा;
- अग्रिमों पर ब्याज दरों पर निदेशों की समीक्षा;
- ऋण जोखिम प्रबंधन पर निदेशों की समीक्षा;
- ऋण जोखिम वितरण के लिए बाजार तंत्र की समीक्षा; और
- साझा ऋण व्यवस्था के लिए फ्रेमवर्क।

[4] शहरी सहकारी बैंकों द्वारा ऐसे अग्रिमों के लिए कुल सीमा को कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर कुल अग्रिमों का 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

फिनटेक विभाग

VI.51. फिनटेक विभाग को सतर्क रहते हुए और संबंधित जोखिमों को दूर करते हुए फिनटेक इकोसिस्टम में नवाचार को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्य-सूची

VI.52. विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- सीबीडीसी के दायरे और कवरेज का विस्तार करना और नए उपयोग के मामलों और सुविधाओं का विस्तार करना (पैराग्राफ VI.53 - VI.55);
- यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) में बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) कार्यक्षमता का प्रारंभ (पैराग्राफ VI.56);
- 'MuleHunter.ai™' का विस्तार करना (पैराग्राफ VI.57); और
- वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदार और नैतिक रूप से अपनाने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना (पैराग्राफ VI.58)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.53. उपयोगकर्ता स्तर प्रोग्रामेबिलिटी को सीबीडीसी के खुदरा खंड में लाया गया, जिससे एक उपयोगकर्ता अन्य व्यक्तियों को प्रोग्रामेबेल मुद्रा भेजने में सक्षम रहे। भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) को मौजूदा सीबीडीसी वॉलेट से जुड़ने में सक्षम बनाया गया। संस्थागत स्तर पर, कई सरकारी एजेंसियों ने लोक निधि के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सीबीडीसी की प्रोग्रामेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाते हुए विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में पायलट परियोजनाएं शुरू कीं।

VI.54. ऑफ़लाइन सीबीडीसी के मामले में, निकटता आधारित (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) और गैर-निकटता आधारित (एसएमएस) समाधानों दोनों का परीक्षण किया जा रहा है। थोक खंड में, जी-सेक और अंतर-बैंक उधार खंड के द्वितीयक बाजार व्यापार निपटान पर मौजूदा पायलट परियोजनाओं का विस्तार किया गया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आधार पर अन्य देशों के साथ सीमा पार सीबीडीसी व्यवस्था विकसित करने में सक्रिय रूप से संलग्न है।

VI.55. सीबीडीसी और टोकनाइजेशन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 के दौरान आरबीआई सीबीडीसी और एसेट टोकनाइजेशन (सीएटी) सैंडबॉक्स और एकीकृत बाज़ार इंटरफेस (यूएमआई) लॉन्च करने की घोषणा की। सीएटी सैंडबॉक्स संस्थाओं को अभिनव सीबीडीसी और टोकनाइजेशन उपयोग के मामलों, एप्लिकेशन और मूल्य वर्धित समाधानों के विकास, परीक्षण और प्रदर्शन के लिए परीक्षण वातावरण तक पहुंचने में सक्षम करेगा। यूएमआई के तहत, जमा प्रमाण पत्र (सीडी) टोकनयुक्त रूप में जारी किए जाने वाले और थोक सीबीडीसी के माध्यम से निपटाए जाने वाले पहले साधन थे।

VI.56. यूएलआई के दायरे का विस्तार करने के अलावा, अधिक ऋणदाताओं और डेटा सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग के माध्यम से प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ाया गया। बी2सी (ग्राहक-वाले) एप्लिकेशन का विकास भी चल रहा है।

VI.57. MuleHunter.ai™ वास्तविक धोखाधड़ी के स्वरूप से प्राप्त व्यवहार और लेन-देन संबंधी विभिन्न विशेषताओं का उपयोग करता है, जिन्हें पारितंत्र तंत्र स्तर के अनुभवों के आधार पर विकसित किया गया है। यह प्रत्येक बैंक खाते को एक विश्वास स्कोर (अर्थात संभावना) प्रदान करता है, जो यह दर्शाता है कि वह खाता किसी धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और म्यूल होने की कितनी संभावना है। 31 मार्च 2026 तक, इसे 26 बैंकों में लागू किया जा चुका है। चार और बैंकों में इसका कार्यान्वयन जारी है, और इसे और अधिक बैंकों तक विस्तारित करने की योजना है। MuleHunter.ai™ द्वारा किसी संदिग्ध खाते को विश्वास स्कोर प्रदान करने के बाद, आगे की कार्रवाई संबंधित बैंकों द्वारा उनके आंतरिक आकलन और समुचित सावधानी प्रक्रियाओं के आधार पर तय की जाती है।

VI.58. वित्तीय क्षेत्र में एआई को जिम्मेदार और नैतिक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा 26

दिसंबर, 2024 को कृत्रिम बुद्धिमता के उत्तरदायित्व और नैतिक सक्षमता के लिए फ्रेमवर्क (एफआरईई-एआई) समिति का गठन किया गया, जिसने 13 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की (बॉक्स VI.2)। विभाग समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों का आकलन कर रहा है, जो वित्तीय क्षेत्र में संस्थाओं के लिए अधिक विशिष्ट मार्गदर्शन तैयार करने में मदद करेगा।

बॉक्स VI.2
वित्तीय क्षेत्र में एफआरईई-एआई - प्रमुख सिफारिशें

एफआरईई-एआई समिति की रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र में एआई के उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य संबंधित जोखिमों से सुरक्षा करते हुए इसकी क्षमता का उपयोग करना है। फ्रेमवर्क के मूल में सात सूत्र हैं जो एआई विकास, तैनाती और अभिशासन (चार्ट) के लिए मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं। फ्रेमवर्क छह कार्यनीतिक स्तंभों के आसपास संरचित है - (i) अवसंरचना; (ii) नीति; (iii) नवाचार को सक्षम करने की क्षमता; (iv) अभिशासन; (v) सुरक्षा; और (vi) जोखिम शमन का आश्वासन। मार्गदर्शन के रूप में सूत्रों का उपयोग करते हुए, समिति ने दोहरे केंद्र दृष्टिकोण का आह्वान किया है - प्रभावी जोखिम शमन सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना। इन छह स्तंभों में, समिति ने 26 सिफारिशें की हैं, जिनमें से प्रत्येक में 13-13 नवाचार सक्षमता और जोखिम शमन पर हैं। कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं।

चार्ट: एफआरईई-एआई फ्रेमवर्क का स्नैपशॉट

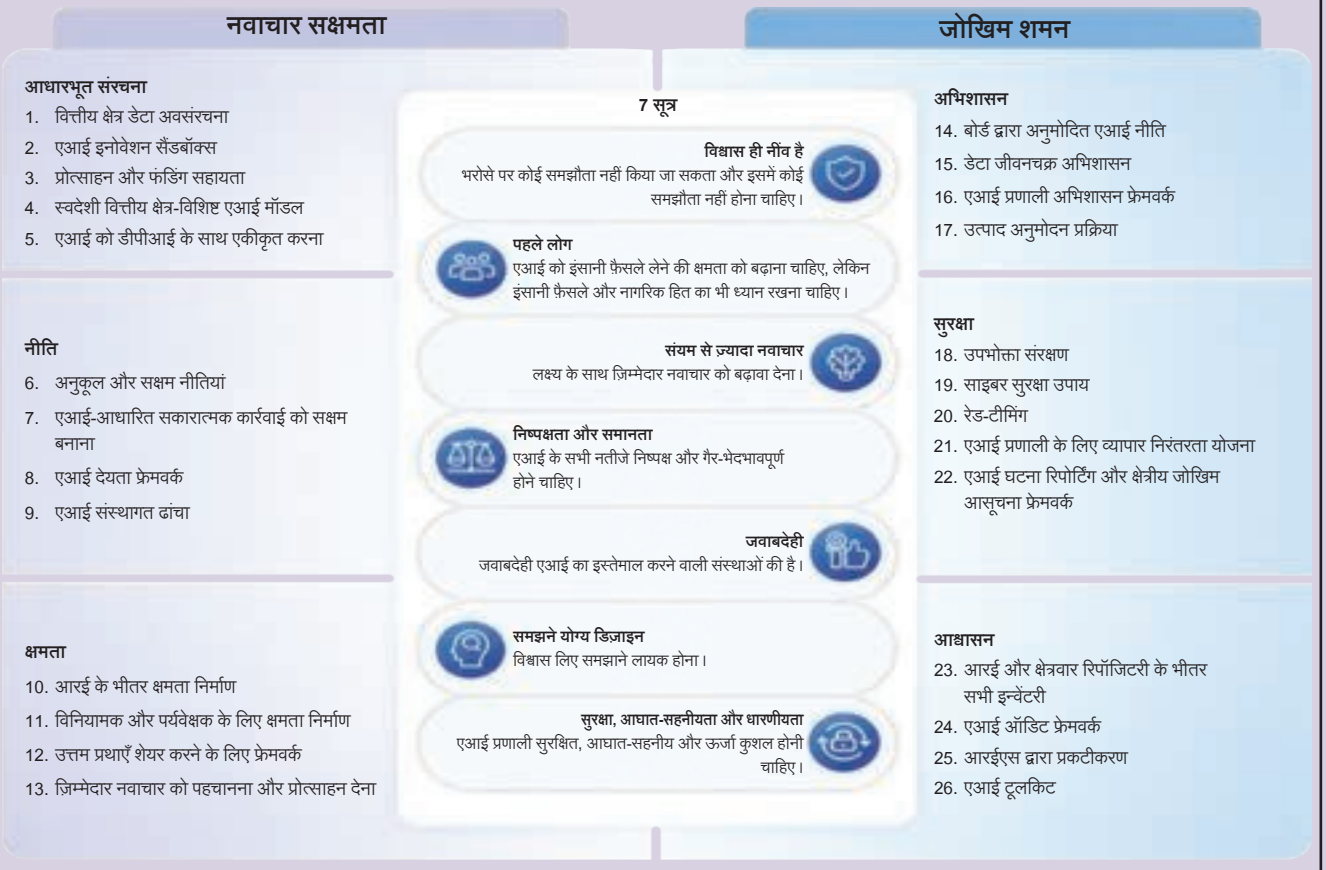

स्रोत: एफआरईई-एआई समिति की रिपोर्ट, अगस्त 2025, आरबीआई।

(जारी...)

नवाचार सक्षमता

- डेटा और कंप्यूटिंग संसाधनों तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय क्षेत्र डेटा अवसंरचना की स्थापना करना।
- हितधारकों को एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में एआई-संचालित समाधान बनाने और परीक्षण करने की अनुमति देने के लिए एक एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स स्थापित करना। स्वदेशी, क्षेत्र-विशिष्ट एआई मॉडल विकसित करना और उन्हें सार्वजनिक वस्तु के रूप में उपलब्ध कराना।
- विनियामक द्वारा वित्तीय क्षेत्र के लिए एक व्यापक एआई नीति फ्रेमवर्क तैयार करना।
- रिज़र्व बैंक को एक समेकित एआई मार्गदर्शन जारी करने पर विचार करना चाहिए जो आरई और व्यापक फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एकल संदर्भ बिंदु के रूप में काम कर सकता है।
- बोर्डों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों सहित सभी स्तरों पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।
- क्षेत्र के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, और समावेशन का समर्थन करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कम जोखिम वाले एआई एप्लीकेशन के लिए एक अधिक लचीला, जोखिम-आनुपातिक अनुपालन दृष्टिकोण विकसित करना।

जोखिम शमन

- विनियमित संस्थाओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एआई नीति स्थापित करनी चाहिए और पूरे एआई जीवनचक्र में अपनी मौजूदा अभिशासन संरचनाओं को मजबूत करना चाहिए।
- उत्पाद अनुमोदन प्रक्रियाओं, उपभोक्ता-सुरक्षा ढांचे और आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तार करना ताकि एआई-विशिष्ट विचारों को शामिल किया जा सके।
- एआई-संचालित भेद्यताओं को दूर करने के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण और घटना-रिपोर्टिंग तंत्र को और सक्षम बनाना।
- संगठनों को उपभोक्ताओं को एआई प्रणाली के उपयोग करते समय सूचित करके पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे जवाबदेही का समर्थन किया जा सके और एआई प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित रूप से अपनाया जा सके।

साथ में, सात *सूत्र*, छह स्तंभ और 26 कार्रवाई योग्य सिफारिशें एक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के समिति के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती हैं जिसमें नवाचार को प्रोत्साहित करना जोखिम को कम करने के साथ है।

स्रोत: आरबीआई।

प्रमुख पहलें

HaRBInger का चौथा संस्करण

VI.59. रिज़र्व बैंक ने 23 अक्टूबर 2025 को अपने वैश्विक हैकथॉन का चौथा संस्करण – 'HaRBInger – इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन – लॉन्च किया, जिसका विषय 'सुरक्षित बैंकिंग: पहचान, अखंडता और समावेशिता द्वारा संचालित' था, जिसमें तीन समस्या विवरण शामिल थे – 'टोकनाइज्ड केवाईसी', 'ऑफलाइन सीबीडीसी (e₹)' और 'विश्वास बढ़ाना'। कुल 496 प्रस्ताव प्राप्त आए, जिनमें 15 अन्य देशों की टीमों से 34 प्रस्ताव शामिल थे। मूल्यांकन प्रक्रिया कई चरणों में की गई थी जिसमें प्रारंभिक स्क्रीनिंग (चरण 1), समाधान विकास चरण के लिए शॉर्टलिस्टिंग (चरण II) और अंतिम मूल्यांकन (चरण III) शामिल थी। विजेताओं का चयन 17-18 अप्रैल 2026 के दौरान एक स्वतंत्र निर्णायक दल द्वारा नवाचार, समाधान व्यापकता, उत्पाद तत्परता, मापनीयता और सुरक्षा जैसे मापदंडों के आधार पर किया गया था।

विनियामकीय सैंडबॉक्स (आरएस)

VI.60. रिज़र्व बैंक वर्ष 2019 से आरएस फ्रेमवर्क का परिचालन कर रहा है, जिसके तहत 31 मार्च 2026 तक पांच समूह[5] पूरे हो चुके हैं (सारणी VI.1)। इसके अलावा, आरएस के तहत ऑन-टैप[6] एप्लिकेशन सुविधा, जो पहले केवल सीमित विषयों के लिए उपलब्ध थी, का विस्तार अब रिज़र्व बैंक के विनियामकीय क्षेत्र में आने वाले किसी भी उत्पाद या सेवा के परीक्षण के लिए 'थीम न्यूट्रल' एप्लीकेशन को शामिल करने के लिए किया गया है।

[5] 'खुदरा भुगतान', 'सीमा पार भुगतान', 'एमएसएमई ऋण', 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन' और 'थीम न्यूट्रल'।

[6] रिज़र्व बैंक ने 9 अप्रैल 2025 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आरएस के तहत 'ऑन-टैप' सुविधा के हिस्से के रूप में 'थीम न्यूट्रल' आवेदनों की अनुमति दी।

सारणी VI.1: विनियामकीय सैंडबॉक्स - परीक्षण अनुभव (31 मार्च 2026 तक)

(संख्या)

समूह	विषय/थीम	प्राप्त आवेदन	परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट	सफलतापूर्वक बाहर
1	2	3	4	5
1.	खुदरा भुगतान	32	6	6
2.	सीमा पार भुगतान	27	8	4
3.	एमएसएमई ऋण	22	8	5
4.	वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन	9	6	3
5.	थीम न्यूट्रल	22	5	1
ऑन टैप	सीमित समूह थीम्स	22	4	2
	कुल	**134**	**37**	**21**

स्रोत: आरबीआई।

खाता समामेलक (एए) फ्रेमवर्क

VI.61. एए फ्रेमवर्क के माध्यम से साझा किए गए डेटा के दायरे और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बैंकों के पास रखे गए जमा, सावधि जमा और आवर्ती जमा खातों के लिए रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गई। तदनुसार, एक उन्नत वित्तीय सूचना (एफ़आई) रूपरेखा संस्करण 2.0 23 जनवरी 2025 को जारी किया गया। एफआई रूपरेखा 2.0 ने नए क्षेत्र (जैसे खाता प्रकार, मुद्रा, सीकेवाईसी पंजीकरण स्थिति, आदि) को जोड़कर, प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रदान किए जाने वाले डेटा प्रकार को परिभाषित करने और अनिवार्य और वैकल्पिक डेटा क्षेत्र पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के साथ एफआई के दायरे का विस्तार किया। यह सुनिश्चित किया गया कि ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले सभी वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआई-पीएस) एए पारितंत्र तंत्र में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए एक निर्धारित समयसीमा के भीतर अद्यतन रूपरेखा को लागू करें।

फिनटेक पारितंत्र तंत्र में कार्य एवं उसका उपयोग

VI.62. फिनटेक विभाग ने दो संरचित मासिक प्लेटफार्मों, 'फिनइंटरैक्ट' और 'फिनक्वायरी' के माध्यम से फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को शामिल करना जारी रखा है। स्थानीय फिनटेक संस्थाओं के साथ समर्पित चर्चा के लिए विभिन्न शहरों और क्षेत्रों में 'फिनइंटरैक्ट' सत्र आयोजित किए जाते हैं, जबकि 'फिनक्वायरी' फिनटेक विभाग, रिज़र्व बैंक, मुंबई में फिनटेक में स्पष्टता प्राप्त करने या किसी भी प्रासंगिक मामले पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान (जनवरी 2026 के अंत तक), 'फिनइंटरैक्ट' के चार सत्र और 'फिनक्वायरी' के 10 सत्र आयोजित किए गए हैं, जिनमें क्रमशः लगभग 450 और 1100 प्रतिभागी शामिल हुए।

वैश्विक फ़िनटेक फ़ेस्ट (जीएफ़एफ़) 2025

VI.63. रिज़र्व बैंक ने मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक आयोजित जीएफएफ 2025 के छठे सत्र में आरबीआई नवोन्मेषी पवेलियन (आरबीआई इनोवेशन पवेलियन) की स्थापना की, जिसमें रिज़र्व बैंक के सक्रिय नवाचार पहल- जैसे यूएलआई, सीबीडीसी, विनियामक सैंडबॉक्स, MuleHunter.ai™, HaRBInger और एफआरईई-एआई फ्रेमवर्क को प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने आरबीआईएच के सहयोग से बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अभिनव समाधानों को बाजार में अपनाने की सुविधा के लिए 'फिनटेक शोकेस' का आयोजन किया। इस सत्र में रिज़र्व बैंक की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, HaRBInger और फिनटेक रिपॉजिटरी जैसी पहलों से जुड़े 14 स्टार्टअप भी शामिल हुए।

VI.64. जीएफ़एफ़ 2025 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार के साथ मिलकर 7 अक्टूबर 2025 को इंडिया फिनटेक कनेक्ट' का आयोजन किया जिसमें

दूतावासों, भारतीय मिशनों और भारत की निर्यात उन्मुख फिनटेक नवोन्मेषों को एक मंच प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में HaRBInger पहल के चुनिन्दा स्टार्टअप भी शामिल हुए, जिन्होंने समावेशिता, विश्वास और सीमा पार सहयोग को मजबूत करने वाले समाधानों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के दौरान 19 भारतीय फिनटेक कंपनियों ने 50 से अधिक भारतीय दूतावासों के समक्ष अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिसमें इन सबने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। इसके अतिरिक्त, 8 अक्टूबर 2025 को 'वित्त में उभरती तकनीक का उपयोग' विषय पर केंद्रीय बैंकरों का गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें बीआईएस इनोवेशन हब, सिंगापुर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और डेनमार्क, पूर्वी कैरिबियन, एस्टोनिया, फ्रांस, मॉरीशस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।

सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफएफ) 2025

VI.65. एसएफ़एफ़ प्रमुख वैश्विक फिनटेक कार्यक्रम है जिसका आयोजन सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (जीएफ़टीएन) और अन्य भागीदारों के साथ किया गया। रिज़र्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के सहयोग से 12 से 14 नवंबर 2025 तक आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल (एसएफ़एफ़) के दसवें सत्र के दौरान 'इंडिया इनोवेशन पवेलियन' की शुरुआत की। प्रत्येक विनियामक ने अपने संबंधित क्षेत्र से प्रमुख नवाचारों का प्रदर्शन किया, जिसमें भारत को सबसे गतिशील और तीव्रता से बढ़ते फिनटेक पारितंत्र तंत्र में इसकी स्थिति को रेखांकित किया।

रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

VI.66. MuleHunter.ai™ के अलावा, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरबीआईएच के माध्यम से शुरू की गई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं:

(ए) यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) एक एंटरप्राइज़-स्तर ओपन आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है, जो क्रेडिट इकोसिस्टम के संचालन के लिए केंद्रीय है। यह प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध विविध डेटा स्रोतों से जानकारी तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करता है, और ऋण देने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के रूप में कार्य करता है। 31 मार्च 2026 तक, यूएलआई ने 12 ऋणों में 9.6 करोड़ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) हिट को पार कर लिया है, और सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) सहित 117 ऋणदाताओं को शामिल किया है और 134 डेटा सेवाएं[7] उपलब्ध कराई हैं। ये डेटासेट समाज के कमजोर वर्गों के लिए निर्बाध औपचारिक ऋण पहुंच को सक्षम बनाते हैं, जिससे समावेशी वित्तीय विकास को बढ़ावा मिलता है। डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के लिए राज्य सरकारों सहित ऋणदाताओं और डेटा/सेवा प्रदाताओं के संसार को लगातार बढ़ाया जा रहा है।

(बी) डिजिटल भुगतान आसूचना प्लेटफॉर्म (डीपीआईपी) एक सहयोगी, प्रौद्योगिकी-संचालित फ्रेमवर्क है जिसकी परिकल्पना डिजिटल भुगतान पारितंत्र तंत्र में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने के लिए की गई है। डीपीआईपी के पहले चरण में, बैंकों

[7] इन सेवाओं में 10 राज्यों के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अन्य विविध डेटा, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से *उद्यम* और *उद्यम* सहायता, ग्रामीण विकास मंत्रालय से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डेटा, राजस्व विभाग से माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) डेटासेट और सहकारी समितियों से डिजिटल डेयरी रिकॉर्ड शामिल हैं।

द्वारा रिपोर्ट किए गए संदिग्ध/धोखाधड़ी वाले लेनदेन के आधार पर एक स्मार्ट रजिस्ट्री विकसित की जा रही है, जो गैर-वास्तविक तत्वों को शामिल करने से रोकेगी। दूसरे चरण में, बैंकों को उनकी उपयुक्त कार्रवाई तय करने के लिए वास्तविक समय लेनदेन के अनुसार जोखिम स्कोर प्रदान करने के लिए पिछले लेनदेन डेटा का उपयोग करके एक एआई/एमएल आधारित मॉडल विकसित किया जाएगा। 31 मार्च 2026 तक सात बैंकों को डीपीआईपी पायलट चरण I में शामिल किया गया है।

(सी) आरबीआईएच फिनटेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (एमटेक) रिपॉजिटरी भी परिचालित करता है जो फिनटेक संस्थाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है और फिनटेक विकास की निगरानी के लिए एक क्षेत्र-व्यापी रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है। रिपॉजिटरी को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और विभिन्न कार्यात्मकताओं की पेशकश करने के लिए, मोबाइल व्यू और 'कनेक्ट फीचर' सहित विभिन्न उन्नयन किए गए, जिसमें फिनटेक सहमति आधारित ढांचे में बैंको, निवेशकों और इनक्यूबेटरों जैसे इकोसिस्टम प्लेयर्स के साथ जुड़ सकते हैं। 31 मार्च 2026 तक, फिनटेक और एमटेक रिपॉजिटरी पर शामिल फिनटेक और आरई की संख्या क्रमशः 693 (950 पंजीकरण प्राप्त) और 33 (86 पंजीकरण प्राप्त) हैं।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.67. वर्ष 2026-27 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा :

- घरेलू क्षेत्र में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं और व्यावसायिक एप्लिकेशन में नए उपयोग के मामलों को पूरा करने के लिए सीबीडीसी पायलट का विस्तार करना;
- सीबीडीसी और आस्ति टोकनीकरण (सीएटी) सैंडबॉक्स के तहत सीबीडीसी के लीवरेज लेने वाले नवीन उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करना;
- सीबीडीसी का उपयोग करके निपटान के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों के टोकनीकरण पर अतिरिक्त पायलट परियोजना की खोज करना और पायलट में अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने के लिए दायरा बढ़ाना (*उत्कर्ष* 2029);
- चुनिंदा उपयोग -योग्य मामलों के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सीमा पार सीबीडीसी पायलट की खोज करना और तकनीकी एवं अभिशासन मानकों पर सीमा पार भुगतान पर बहुपक्षीय परियोजनाओं में शामिल होना;
- अधिक डेटा सेवा प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के माध्यम से एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस (यूएलआई) को बढ़ाना;
- अधिक बैंकों में MuleHunter.ai™ के कार्यान्वयन का विस्तार;
- MuleHunter.ai™ के साथ स्मार्ट रजिस्ट्री का एकीकरण और विभिन्न बैंक में इसका कार्यान्वयन;
- ग्लोबल हैकाथॉन के पांचवे सत्र HaRBInger का आयोजन
- खाता समामेलक रूपरेखा के तहत ग्राहक सुरक्षा और उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए मानकों का प्रकाशन; तथा
- एआई समाधानों के सुरक्षित, नियंत्रित प्रयोग को सक्षम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र हेतु एआई इनोवेशन सैंडबॉक्स विकसित करना।
- निम्नलिखित के लिए सिद्धांत-आधारित फ्रेमवर्क बनाना:

  (i) वित्तीय क्षेत्र में एआई का उपयोग

  (ii) वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम का उपयोग (*उत्कर्ष* 2029)।

4. वित्तीय मध्यवर्ती संस्थानों का पर्यवेक्षण

पर्यवेक्षण विभाग

VI.68. पर्यवेक्षण विभाग को सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर), एलएबी, भुगतान बैंक (पीबी), एसएफबी, सीआईसी, एआईएफआई, यूसीबी, एनबीएफसी [आवास वित्त निगम

(एचएफसी) को छोड़कर] और आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वाणिज्यिक बैंक

VI.69. विभाग ने वर्ष के दौरान एससीबी, एलएबी, पीबी और एसएफबी के प्रत्यक्ष और परोक्ष पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए कई उपाय किए।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.70. विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- दबाव अवधि के दौर में भी बैंको में चलनिधि सुनिश्चित करने हेतु नकदी प्रवाह विश्लेषण विकसित करके एलसीबी के चलनिधि दबाव परीक्षणों को सुदृढ़ करना। यह प्रक्रिया किसी बैंक की चलनिधि स्थिति पर, चरम लेकिन संभावित परिदृश्यों के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन यह ध्यान में रखते हुए करेगी कि संकट के दौरान भी उक्त चलनिधि से बैंक के दायित्वों का पूर्ण होना सुनिश्चित हो सके। इससे दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य और प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंकों की चलनिधि स्थिति की स्थिरता का आकलन मिल सकेगा। दुर्बलताओं की पहचान करके और पर्याप्त चलनिधि बफर सुनिश्चित करके, दबाव परीक्षण बैंकों की समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रणालीगत जोखिमों को रोकने में सहायता करेगा (पैराग्राफ VI.71);
- पीबी और एसएफबी के लिए पर्यवेक्षी रूपरेखा को और सुदृढ़ करना (पैराग्राफ VI.72);
- डिजिटल सेवाएँ ग्राहकों की सेवा के लिए महत्वपूर्ण चैनल हैं और इन चैनलों की आघात-सहनीयता सुनिश्चित करना अति महत्वपूर्ण है। आरई में डिजिटल चैनलों के परिचालन आघात-सहनीयता के लिए विशिष्ट मापदंडों के साथ एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा (पैराग्राफ VI.73);
- डिजिटल फोरेंसिक तत्परता पर दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.74); और
- बैंकों के ग्राहकों के हित में, चुनिंदा डिजिटल सेवाओं के उसी समय की अति – तत्काल स्थिति और विश्लेषण प्रदान करने के लिए, एक गतिशील ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, और बैंकों को चरणबद्ध तरीके से इसमें शामिल किया जाएगा (पैराग्राफ VI.75)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.71. बैंकों के लिए चलनिधि जोखिम दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क में प्रतिवर्ती चलनिधि दबाव परीक्षण मॉडल से दूरदर्शी मॉडल तक व्यापक वृद्धि हुई है, जो नकदी प्रवाह और बहिर्वाह के विश्लेषण के आधार पर संस्थाओं के लिए 'उत्तरजीविता क्षितिज'/ 'विफलता के दिन' का संकेत देता है। एलसीआर फ्रेमवर्क के अनुरूप, मॉडल संकट के दौरान अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए अलग-अलग बैंकों पर अलग-अलग रन-ऑफ दरों और आस्तियों पर हेयरकट के साथ सामान्य परिदृश्यों को लागू करता है। वर्ष 2023 की वैश्विक बैंकिंग उथल-पुथल[8] के अधिगम को दर्शाते हुए, संबंधित बैंकों के उत्तरजीविता क्षितिज को बीमाकृत जमा और फंडिंग का संकेन्द्रण के साथ मैप किया गया है। उच्च स्तर की फंडिंग का संकेन्द्रण, कम बीमाकृत जमा और कम उत्तरजीविता क्षितिज वाली संस्थाओं को पर्यवेक्षी हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इस मॉडल को अर्ध-वार्षिक रूप से लागू किया जा रहा है और इसे वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

VI.72. पर्यवेक्षण वर्ष 2026-27 से कार्यान्वयन के लिए एसएफबी के लिए अलग पर्यवेक्षण रेटिंग मॉडल विकसित किया

[8] मार्च-मई 2023 के बैंकिंग संकट ने इस बात को उजागर किया कि उच्च स्तर की गैर-बीमाकृत जमा राशि और उच्च स्तर के वित्तपोषण संकेंद्रण वाली संस्थाएं चलनिधि संकट की अवधि के दौरान कमजोर होती हैं।

गया है, जबकि एआरसी के लिए मॉडल की समीक्षा की गई है। पीबी के लिए पर्यवेक्षण रेटिंग मॉडल के विकास की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है।

VI.73. डिजिटल बैंकिंग चैनलों के लिए सेवा उपलब्धता और आघात-सहनीय फ्रेमवर्क पर कार्य प्रक्रियाधीन है। आरई द्वारा प्रदान की गई डिजिटल सेवाओं के लिए प्रमुख आघात-सहनीयता संबंधित मापदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव है और इसे अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

VI.74. 'डिजिटल फोरेंसिक तत्परता' पर आधारभूत अपेक्षाओं का एक सेट अंतिम रूप देने के अंतिम चरण पर है।

VI.75. चुनिंदा डिजिटल सेवाओं में बैंकों की सेवा उपलब्धता की वास्तविक समय की निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड का मूल्यांकन वर्तमान में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के माध्यम से पायलट चरण के तहत किया जा रहा है, जिसमें 10 बैंक शामिल हैं।

अन्य पहलें

धोखाधड़ी विश्लेषण

VI.76. पिछले तीन वर्षों में बैंक समूह-वार धोखाधड़ी के मामलों का आकलन यह दर्शाता है कि हालांकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी की संख्या में कमी आई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें शामिल राशि में वृद्धि हुई है (सारणी VI.2)। जबकि वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान

सारणी VI.2: धोखाधड़ी के मामले – बैंक समूहवार

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह / संस्था	2023-24		2024-25		2025-26	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	7,446	8,092	6,916	23,617	5,418	35,709
	(20.8)	(73.5)	(29.2)	(72.0)	(53.6)	(74.5)
निजी क्षेत्र के बैंक	23,965	2,667	14,024	8,927	3,956	11,399
	(67.0)	(24.2)	(59.1)	(27.2)	(39.1)	(23.7)
विदेशी बैंक	2,899	154	1,447	181	210	290
	(8.1)	(1.4)	(6.1)	(0.6)	(2.1)	(0.6)
वित्तीय संस्थान	1	1	2	13	13	498
	(-)	(-)	(-)	(-)	(0.1)	(1.0)
लघु वित्त बैंक	1,019	64	1,215	58	467	114
	(2.8)	(0.6)	(5.1)	(0.2)	(4.6)	(0.2)
भुगतान बैंक	468	35	113	6	47	11
	(1.3)	(0.3)	(0.5)	(-)	(0.5)	(-)
स्थानीय क्षेत्र बैंक	2	-	5	1	3	-
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
कुल	**35,800**	**11,013**	**23,722**	**32,803**	**10,114**	**48,021**
	(100)	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**	**(100)**

-: शून्य / नगण्य

नोट :
1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
2. आंकड़े इस अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई ₹1 लाख और उससे अधिक की धोखाधड़ी से संबन्धित है।
3. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बताए गए आंकड़े उनके द्वारा संपादित संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।
4. किसी वर्ष में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी रिपोर्टिंग वर्ष से कई वर्ष पहले घटित हो सकती है।
5. रिपोर्ट की गई राशि में हानि वाली राशियाँ शामिल नहीं हैं। वसूली से जो हानि होती है कम हो जाती है। इसके अलावा, यह भी जरूरी नहीं है कि इसमें शामिल पूरी राशि को उद्देश्य से इतर लगाया गया हो।
6. वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित डेटा में पिछले वित्त वर्षों से संबंधित ₹ 30,199 करोड़ की राशि के 314 मामलों में धोखाधड़ी का वर्गीकरण शामिल है, जिसे पुन: जांच के बाद और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 27 मार्च 2023 के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान नए सिरे से रिपोर्ट किया गया है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न।

कार्ड/इंटरनेट/डिजिटल भुगतान श्रेणी के तहत धोखाधड़ी की संख्या सबसे अधिक थी, वर्ष 2025-26 में अग्रिम श्रेणी में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। मूल्य के संदर्भ में, धोखाधड़ी तीन वर्षों में अग्रिम श्रेणी में केंद्रित थी (सारणी VI.3)।

विषयगत अध्ययन

VI.77. विषयगत अध्ययन निम्नलिखित क्षेत्रों में आयोजित किए गए थे: (ए) क्रेडिट कार्ड परिचालन बी) व्यवसाय प्रतिनिधि (सी) प्रमुख बैंकों में लेन-देन निगरानी प्रणालियों और केवाईसी/एएमएल/सीएफटी[9] से संबंधित क्षेत्र/ परिचालन के स्तर पर प्रभावकारिता; (डी) टॉप-अप आवास ऋण; (ई) आंतरिक ओम्बड्समैन योजना का कार्यान्वयन; और (एफ़) एसई में एआई को अपनाना।

साइबर जोखिम

VI.78. एसई में साइबर सुदृढ़ता बढ़ाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीबीआरटी) में निर्मित अत्याधुनिक मंच के माध्यम

सारणी VI.3: धोखाधड़ी के मामले -परिचालन क्षेत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

बैंक समूह / संस्था	2023-24		2024-25		2025-26	
	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि	धोखाधड़ी की संख्या	सम्मिलित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अग्रिम	4,105	8,917	7,924	30,367	8,640	40,774
	(11.5)	(81.0)	(33.4)	(92.6)	(85.5)	(84.9)
तुलन पत्र से इतर	10	199	8	270	8	521
	(-)	(1.8)	(-)	(0.8)	(0.1)	(1.1)
विदेशी मुद्रा लेन देन	19	38	23	16	23	125
	(0.1)	(0.3)	(0.1)	(-)	(0.2)	(0.3)
कार्ड/इंटरनेट/डिजिटल भुगतान	28,836	1,452	13,332	517	293	29
	(80.4)	(13.2)	(56.2)	(1.6)	(2.9)	(0.1)
जमाराशि	2,002	240	1,207	521	407	377
	(5.6)	(2.2)	(5.1)	(1.6)	(4.0)	(0.8)
अंतर शाखा खाते	29	10	14	26	57	72
	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.6)	(0.1)
नकद	484	78	306	39	181	35
	(1.4)	(0.7)	(1.3)	(0.1)	(1.8)	(0.1)
चेक/ डीडी / *आदि*	127	42	122	74	84	14
	(0.4)	(0.4)	(0.5)	(0.2)	(0.8)	(-)
समाशोधन खाते	17	2	6	2	3	11
	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
अन्य	171	35	780	971	418	6,063
	(0.5)	(0.3)	(3.3)	(3.0)	(4.1)	(12.6)
कुल	**35,800**	**11,013**	**23,722**	**32,803**	**10,114**	**48,021**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

-: शून्य / नगण्य

नोट: 1. कोष्ठक में दिये गए आंकड़े कुल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाती है।

2. सारणी VI.2 के फुटनोट 2-6 देखें।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न।

[9] अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी)।

से साइबर रेंज पहल का आरंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म सिम्युलेटेड परिदृश्यों के आधार पर साइबर ड्रिल अभ्यास की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें एसई में अवलोकन की गई या रिपोर्ट की गई घटनाएं शामिल हैं, जिससे क्षेत्रीय तैयारी, प्रतिक्रिया की क्षमताओं और उभरते साइबर खतरों के विरुद्ध सुदृढ़ता को मजबूत किया गया।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.79. विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- साइबर जोखिम के लिए माइक्रो-डेटा एनालिटिक्स परियोजना आरंभ करना;
- केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की समीक्षा;
- *दक्ष*[10] *के* घटना रिपोर्टिंग मॉड्यूल का वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के घटना रिपोर्टिंग एक्सचेंज (एफ़आईआरई) के प्रारूप के साथ संरेखण;
- तत्काल ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से चुनिंदा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में सेवा की उपलब्धता की निगरानी के लिए पायलट के चरण 2 के तहत कुछ बैंकों को शामिल करना;
- डिजिटल फोरेंसिक तैयारी पर दिशा-निर्देश जारी करना;
- एसई द्वारा एआई उपकरणों/प्रणालियों के उपयोग से उत्पन्न साइबर जोखिमों का आकलन करने के लिए विषयगत समीक्षा; तथा
- मौजूदा क्षेत्र-विशिष्ट साइबर सुरक्षा अपेक्षाओं का संरचित मानचित्रण करना और आगामी वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति के आलोक में, जैसा उपयुक्त हो, समीक्षा करना।

शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

VI.80. विभाग ने वर्ष के दौरान यूसीबी के प्रदर्शन की निगरानी करने के अपने उद्देश्य को जारी रखा तथा सुरक्षित और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के निर्माण हेतु प्रयास किए।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.81. विभाग ने 2025-26 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चयनित यूसीबी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0,) [पैराग्राफ VI.82];
- यूसीबी के *जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण* में स्थानांतरण की जांच (पैराग्राफ VI.83); और
- साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर अद्यतन दिशानिर्देश जारी करना (पैराग्राफ VI.84)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.82. चयनित यूसीबी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए की व्यापक समीक्षा पूरी की गयी है जिसके संशोधित फ्रेमवर्क में क्षेत्र की 60 प्रतिशत तक राशियाँ रखने वाले यूसीबी शामिल हैं। ऑफ-साइट जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रोफाइलिंग अधिक केंद्रित है, जिसमें अंतर्निहित केवाईसी और धन शोधन/आतंकवाद वित्तपोषण जोखिमों, उभरते खंड-व्यापी जोखिम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

VI.83. विभाग ने यूसीबी के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी रूपरेखा के विकास की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।

VI.84. यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर अद्यतन दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया है और इसे अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

[10] रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.85. विभाग ने 2026-27 में यूसीबी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- टियर 3 और टियर 4 यूसीबी के लिए पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई) विकसित करना; (*उत्कर्ष* 2029)
- मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) के तहत भौतिक कार्यशालाओं और ई-लर्निंग मोड के माध्यम से यूसीबी क्षेत्र में कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाना [*उत्कर्ष* 2029];
- साइबर सुरक्षा ढाँचा के स्तर 2, 3 और 4 के तहत यूसीबी के लिए साइबर मैपिंग अभ्यास (*उत्कर्ष* 2029)
- चयनित यूसीबी का जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण में स्थानांतरण (*उत्कर्ष* 2029);
- यूसीबी के लिए गैप मूल्यांकन /सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के परीक्षण का दायरा बढ़ाना (*उत्कर्ष* 2029); और
- यूसीबी के लिए साइबर सुरक्षा ढांचा पर अद्यतन दिशा-निर्देश जारी करना।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

VI.86. विभाग ने रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी को छोड़कर) और एआरसी की सूक्ष्मता से निगरानी करना जारी रखा है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.87. विभाग ने 2025-26 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- चयनित एनबीएफसी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.88];
- थीम मूल्यांकन के रूप में, मौजूदा विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का आरई द्वारा किए गए अनुपालन का आकलन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे ऋणों के ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज दर नहीं ली जा रही हैं (पैराग्राफ VI.89); और
- एनबीएफ़सी के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण में स्थानांतरण की जांच (पैराग्राफ VI.90)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.88. एनबीएफसी के लिए संशोधित केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क ने एनबीएफसी के दायरे को विस्तृत किया है। विभिन्न व्यावसायिक मॉडल और क्षेत्र की विषम प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संभावित जोखिमों की अधिक संरचित तरीके से पहचान करने के लिए ऑफ-साइट जोखिम मूल्यांकन मॉडल को पुन: तैयार किया गया है।

VI.89. पर्यवेक्षी परीक्षण के दौरान, रिज़र्व बैंक ने पर्यवेक्षित संस्थाओं के मूल्य निर्धारण तंत्र और फ्रेमवर्क की नमूना आधारित जांच की, जिसमें ब्याज दरों, उधारकर्ताओं से ली जा रही प्रसंस्करण फीस और मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में दर्शाई गयी वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की सटीकता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। गैर-अनुपालन या विसंगतियों की पहचान की गई और पर्यवेक्षी रिपोर्टों में प्रलेखित किया गया। एनबीएफसी के निरंतर पर्यवेक्षी मूल्यांकन के भाग के रूप में पर्यवेक्षी टिप्पणियों के अनुपालन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

VI.90. विभाग ने चुनिंदा एनबीएफसी के लिए जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.91. विभाग ने 2026-27 में एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- एनबीएफसी के लिए ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम के दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क की समीक्षा;

- ऊपरी और मध्य लेयर के एनबीएफसी के लिए साइबर मैपिंग अभ्यास (*उत्कर्ष* 2029);
- चुनिंदा एनबीएफसी का जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण में स्थानांतरण (*उत्कर्ष* 2029); और
- एनबीएफसी के लिए गैप असेसमेंट/आईटी परीक्षण का दायरा बढ़ाना। (*उत्कर्ष* 2029)।

सभी पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) के लिए पर्यवेक्षी उपाय

VI.92. वर्ष 2019 से एक एकीकृत डीओएस का संचालन किया गया है, जिसमें बैंकों, यूसीबी और एनबीएफसी का पर्यवेक्षण एक छत्र विभाग के तहत समग्र तरीके से किया जा रहा है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.93. विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आरई में वैधानिक लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा पर अद्यतन/सामंजस्यपूर्ण विनियामक अनुदेशों की समीक्षा करना और जारी करना (पैराग्राफ VI.94);
- साइबर जोखिमों के चुनिंदा क्षेत्रों पर विस्तृत थीम की समीक्षा करना (पैराग्राफ VI.95);
- वित्तीय संस्थाओं के आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में एकरूपता लाने के लिए अंतर-विनियामक कार्य समूह की अनुशंसा को लागू करने के लिए एसई की साइबर सुदृढ़ता और क्षमताओं को बढ़ाना (पैराग्राफ VI.96);
- वित्तीय प्रणालियों की साइबर मैपिंग को बढ़ाना और चरणबद्ध तरीके से अंतर -क्षेत्रीय और बाज़ार -वार संकट सिमुलेशन अभ्यास करना (पैराग्राफ VI.97); और
- आधार लेयर के एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को और सक्षम बनाना (पैराग्राफ VI.98)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.94. आरई में सांविधिक लेखा परीक्षकों और समवर्ती लेखा परीक्षक प्रणाली की नियुक्ति पर मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गई और मसौदा दिशानिर्देश सार्वजनिक परामर्श के लिए तैयार किए जा रहे हैं।

VI.95. वर्ष के दौरान, साइबर जोखिमों के क्षेत्रों में निम्नलिखित विषयगत अध्ययन किए गए: (i) एससीबी में भुगतान प्रणाली समाधान की प्रक्रियाएं; (ii) रक्षा के तीन चरण में आईटी/साइबर सुरक्षा में कर्मचारी की पर्याप्तता; (iii) सुरक्षा प्रचालन केन्द्र (एसओसी) परिचालन ; (iv) लेन-देन की निगरानी और ग्राहक डेटा का संरक्षण; (v) एसई में सभी प्रणालियों में ग्राहक डेटा की सुरक्षा; और (vi) भेद्यता प्रबंधन।

VI.96. वित्तीय संस्थाओं के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों में एकरूपता पर अंतर-विनियामकीय कार्य समूह की अधिकांश अनुशंसा को पहले ही लागू किया जा चुका है।

VI.97. साइबर मैपिंग अभ्यास सभी प्रमुख बैंकों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवा प्रदाताओं की अंतर -निर्भरता और साइबर जोखिम एक्स्पोज़र के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था, इसके लिए सभी प्रमुख बैंक के लिए समग्र प्रश्नोत्तरी, महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे सुरक्षा उपकरण, एआई एप्लिकेशन, खाता समामेलक और संकट आसूचना प्लैटफ़ार्म को जगह दी गयी। यह पहल प्रणालीगत साइबर जोखिमों की मूलभूत समझ प्रदान करती है। सीमा पार और बाजार-व्यापी संकट सिमुलेशन अभ्यास आयोजित करने के लिए भविष्य के लिए जोखिम शमन अभ्यास/रणनीतियों के लिए हितधारकों के साथ चर्चा की जा रही है।

VI.98. आधार लेयर के एनबीएफसी के पर्यवेक्षण के लिए संरचित ढांचा विकसित किया गया है और इसे पर्यवेक्षी कालचक्र वर्ष 2026-27 से लागू किया जाना है।

VI.99. भारतीय रिज़र्व बैंक साइबर संबंधित धोखाधड़ी का सामना करने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास करता रहा है। (बॉक्स VI.3)

अन्य पहलें

विदेशी निरीक्षण

VI.100. व्यापक पर्यवेक्षी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों के निरीक्षण के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया। इस फ्रेमवर्क के तहत, वर्ष के दौरान (मार्च 2026 के अंत तक) 15 विदेशी शाखाओं का निरीक्षण किया गया और संबंधित क्षेत्राधिकारों में आयोजक पर्यवेक्षी प्राधिकारी के पास समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रमुख समस्याओं को प्रस्तुत किया गया।

पर्यवेक्षी कॉलेज

VI.101. विभाग ने सीमा पार परिचालन का कार्य करने वाले चुनिंदा भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेजों की स्थापना

बॉक्स VI.3

साइबर धोखाधड़ी और मनी म्यूल्स के विरुद्ध प्रतिरोध

डिजिटल वित्तीय सेवाओं के तेजी से विकास से भारत के वित्तीय पारितंत्र तंत्र में परिवर्तनकारी लाभ हुए हैं, जिससे वित्तीय समावेशन और आसानी से बैंकिंग करने में अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ावा मिला है। हालांकि, इस वृद्धि का साइबर धोखाधड़ी में वृद्धि पर अनपेक्षित परिणाम भी पड़ा। साइबर धोखाधड़ियों की गतिशील प्रकृति और मनी म्यूल की बढ़ती घटनाओं को अभिस्वीकृत करते हुए, रिज़र्व बैंक उभरते जोखिमों को दूर करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अपने विनियामकीय और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को लगातार सुदृढ़ कर रहा है। की गई कार्रवाइयों में शामिल हैं:

(ए) विनियामकीय उपाय

रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देश के साथ समेकित केवाईसी निर्देश, 2025 के माध्यम से अपने विनियामकीय ढांचे को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त, भुगतान समामेलक के विनियमन पर संशोधित निर्देशों ने भुगतान समामेलक संबंधित गतिविधियों की चिंता को दूर किया है। डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर निर्देशों का उद्देश्य न्यूनतम साइबर सुरक्षा मानक को स्थापित करना है और इसमें डिजिटल भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा और अखंडता को प्राथमिकता दी गई है।

(बी) पर्यवेक्षी उपाय

केवाईसी और एएमएल/सीएफटी निरीक्षणों और बैंकों के विषयगत मूल्यांकन के माध्यम से पर्यवेक्षी निरीक्षण को तीव्र किया गया है, इसके बाद सुधारात्मक कार्रवाई के लिए बैंकों को शामिल किया गया है। जोखिमों की पहचान करने, निगरानी, खोज और जोखिम शमन करने को सुदृढ़ करने के लिए बैंकों को कई सलाहकारी निर्देश दिए गए हैं। बैंको के शीर्ष प्रबंधन, वरिष्ठ प्रबंधन और क्षेत्र-स्तरीय पदाधिकारियों को सतर्क बनाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

(सी) नवाचार को बढ़ावा देना

साइबर संबंधित धोखाधड़ी की विकसित प्रकृति को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि जोखिम नियंत्रण को नए तौर-तरीकों और उभरते जोखिमों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। बैंकों को अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए एआई/एमएल उपकरणों सहित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में MuleHunter.ai™, विशिष्ट 'bank.in' डोमेन, HaRBInger के तहत नवाचार और इस संबंध में विनियामक सैंडबॉक्स जैसी कई पहलें भी की हैं।

(डी) ग्राहक जागरूकता पहल

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी की रोकथाम, 1930 हेल्पलाइन और बैंक खातों को रेंटिंग से संबंधित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई भाषाओं में राष्ट्रव्यापी मल्टीमीडिया अभियान चलाए गए बैंको को यह भी निर्देश दिया गया कि वे नियमित आधार पर उपभोक्ता जागरूकता अभियान का आयोजन करें।

(ई) बहु हितधारक समन्वय

साइबर-सक्षम धोखाधड़ी के समन्वित प्रतिक्रिया के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र(I4C) गृह मंत्रालय; वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय; दूरसंचार विभाग; वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफ़आईयू-भारत), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसी विननियमित संस्थाएं और सभी हितधारकों के साथ नियमित व्यवस्था की गयी है।

स्रोत: आरबीआई।

की है, जो बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य करते हैं एवं गृह और आयोजक प्राधिकारियों के बीच पर्यवेक्षी समन्वय के लिए द्विवार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा बड़े अंतरराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों के लिए 12 पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकों में भाग लिया, जिसका आयोजन संबंधित विदेशी पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा की गई थी।

द्विपक्षीय यात्रा

VI.102. सेंट्रल बैंक ऑफ रूस (सीबीआर) और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय संवाद दबाव परीक्षण, वित्तीय समूहों के पर्यवेक्षण और समूह जोखिम मूल्यांकन, जलवायु जोखिम और सूक्ष्म ऋण चिंताओं से संबंधित प्रमुख उभरते विषयों पर पर्यवेक्षी सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के लिए किया गया। रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षकों ने सितंबर 2025 में सीबीआर द्वारा आयोजित 'जोखिम विश्लेषण और दबाव परीक्षण' पर सेमिनार में भी भाग लिया और परिचालन सुदृढ़ता, आईटी अभिशासन, तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन, डेटा सुरक्षा और एआई/एमएल पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सीबीआर समकक्षों के साथ चर्चा की। इसके अलावा, जनवरी 2026 में वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक कार्यालय (ओएफएसआई), कनाडा और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के साथ स्वयं – मेजबानी सहयोग, पर्यवेक्षी प्राथमिकताओं और अन्य संबंधित मामलों को मजबूत करने के संबंध में भी चर्चा की गई थी।

पर्यवेक्षी डेटा गुणवत्ता सूचकांक (एसडीक्यूआई)[11] स्कोर का प्रकाशन

VI.103. विभाग ने जून 2025 से तिमाही आधार पर एसडीक्यूआई स्कोर का प्रकाशन शुरू किया, जैसा कि उत्कर्ष 2.0 के तहत परिकल्पना की गई है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही के लिए एसडीक्यूआई स्कोर क्रमशः जून 2025, सितंबर 2025, जनवरी 2026 और मार्च 2026 में बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। व्यक्तिगत स्कोर को उनके संदर्भ के लिए संबंधित एसई के साथ साझा किया गया था।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.104. विभाग ने 2026-27 में सभी एसई के पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:

- सुपटेक/एआई और एमएल के लाभ से पर्यवेक्षी क्षमताओं को बढ़ाना; चयनित एससीबी की शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण/वर्गीकरण करने के लिए, आंतरिक रूप से या बाहरी सलाहकारों को शामिल करके, प्रूफ ऑफ कान्सैप्ट विकसित करना। (*उत्कर्ष* 2029)
- वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधकों के लिए व्यापक पर्यवेक्षी मैनुअल विकसित करना;
- पर्यवेक्षी ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए एसई के व्यापार मॉडल के मूल्यांकन हेतु रूपरेखा विकसित करना; तथा
- विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के एसई के लिए जारी किए गए निर्देशों की समीक्षा।

प्रवर्तन विभाग

VI.105. प्रवर्तन विभाग की स्थापना प्रवर्तन कार्रवाई को पर्यवेक्षी प्रक्रिया से अलग करने और लागू कानून व्यवस्थाओं और उसके तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक संरचित, नियम आधारित दृष्टिकोण को लागू करने और रिज़र्व बैंक में उन्हें बनाए रखने के उद्देश्य से की गयी थी। प्रवर्तन का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक हित और उपभोक्ता संरक्षण के

[11] एसडीक्यूआई पर्यवेक्षी रिटर्न के माध्यम से रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक व्यापक और मात्रात्मक उपाय है। सूचकांक चार आयामों में डेटा की गुणवत्ता को मापता है, अर्थात, सटीकता, पूर्णता, समयबद्धता और स्थिरता।

व्यापक सिद्धांतों के भीतर नियमों और विनियमों का आरई द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.106. विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- व्यवहार्यता अनुभव के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.107]।

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.107. व्यवहार्यता अनुभव के आधार पर प्रवर्तन कार्रवाई के लिए एसओपी की समीक्षा की गई।

प्रमुख गतिविधियां

VI.108. वर्ष 2025-26 के दौरान, विभाग ने आरई के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी क़ानूनों और निर्देशों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन/ गैर-अनुपालन के लिए कुल ₹26.33 करोड़ का 241 जुर्माना लगाया (सारणी VI.4)।

सारणी VI.4 प्रवर्तन कार्रवाई
(अप्रैल 2025- मार्च 2026)

विनियमित संस्था	दंड की संख्या	कुल जुर्माना (₹ करोड़)
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	13	9.05
निजी क्षेत्र के बैंक	14	7.93
विदेशी बैंक	3	1.14
भुगतान बैंक	2	0.61
लघु वित्त बैंक	1	1.00
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2	0.41
सहकारी बैंक	172	4.12
गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं	25	1.76
ऋण सूचना कंपनियाँ	-	-
आवास वित्त कंपनियाँ	6	0.04
भुगतान प्रणाली परिचालक	3	0.27
कुल	**241**	**26.33**

-: शून्य
स्रोत : आरबीआई।

VI.109. वर्ष 2025-26 के दौरान लगाए गए जुर्माने के लिए, विभिन्न आरई को कुल 698 आरोप के 342 पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 382 आरोपों पर प्रवर्तन कार्रवाई (मौद्रिक दंड लगाकर) की गई और 316 आरोपों के संबंध में कोई प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की गई।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.110. वर्ष 2026-27 के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है:

- ज्ञान के समान प्रसारण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रवर्तन के कार्यों पर ई-लर्निंग मॉड्यूल का निर्माण।

5. उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण विभाग

VI.111. उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग आरई के स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों का निर्माण; आरई में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी 24 ओम्बड्समैन कार्यालयों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से रिज़र्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबी-आईओएस), 2021 के कार्यान्वयन का प्रबंधन; क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता शिक्षण एवं संरक्षण प्रकोष्ठों के निष्पादन की देखरेख; तथा सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, ग्राहक सेवा एवं संरक्षण पर मौजूदा विनियमों, साथ ही ग्राहक शिकायतों के निवारण के तरीकों पर जन जागरूकता पैदा करना है।

2025-26 के लिए कार्यसूची

VI.112. विभाग ने 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए थे:

- उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण प्रकोष्ठों, केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र, और संपर्क केंद्र सहित

A

आरबी-आईओएस, 2021 की समीक्षा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.113]

- आरई में शिकायत निवारण रूपरेखा पर मास्टर निदेश जारी करना (पैराग्राफ VI.114); और
- शिकायतों दर्ज करने में बेहतर सहायता करने तथा निर्णयों और परिणामों में अधिक एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) में सुधार करना (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ VI.115];

कार्यान्वयन की स्थिति

VI.113. रिज़र्व बैंक ने परिचालन अनुभव, हितधारकों की प्रतिक्रिया और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, आरबी-आईओएस, 2021 की व्यापक समीक्षा की थी। तदनुसार, आरबी-आईओएस, 2026 16 जनवरी 2026 को जारी किया गया था।

VI.114. शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित अनुदेशों को समेकित करने के लिए, रिज़र्व बैंक आरई में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र पर मास्टर निदेश जारी करने की प्रक्रिया में है।

VI.115. अगली पीढ़ी के सीएमएस 2.0 के विकास के लिए, रिज़र्व बैंक समग्र समाधान विकसित करने पर कार्यरत है जो उपयोगकर्ता-केंद्रितता को बढ़ाने, एक्सेस और उपयोग में सुधार प्रदान करने के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाएगा। सीएमएस 2.0 में बेहतर परिणाम की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों के उपयोग के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ेशन भी शामिल किया जाएगा।

प्रमुख गतिविधियां

VI.116. आरई के स्तर पर ग्राहकों की शिकायतों और सार्थक समाधान की सुविधा के लिए, विनियमित संस्था की प्रत्येक श्रेणी के लिए आंतरिक ओम्बड्समैन निर्देश 14 जनवरी, 2026 को जारी किए गए थे।

VI.117. ग्रामीण सहकारी बैंकों के ग्राहकों को रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन प्रणाली का एक्सेस प्रदान करने के लिए, 1 नवंबर 2025 से केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को आरबी-आईओएस, 2021 के दायरे में लाया गया था।

VI.118. ग्राहक केंद्रित उपाय के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2026 से दो महीने का विशेष अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन के पास एक महीने से अधिक लंबित सभी शिकायतों का समाधान देना है।

वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

VI.119. 2026-27 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्यों को केंद्र में रखा है:

- शिकायत प्रबंधन प्रणाली 2.0 का विकास (*उत्कर्ष* 2029)।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.120. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के तहत स्थापित डीआईसीजीसी रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो भारतीय जमा बीमा योजना का प्रबंधन करती है। डीआईसीजीसी का उद्देश्य बैंकों के जमाकर्ताओं का संरक्षण करना और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना है, जिससे वित्तीय स्थिरता में योगदान मिलता है। रिज़र्व बैंक से लाइसेन्स प्राप्त सभी बैंको के लिए जमा बीमा योजना अनिवार्य है। 31 मार्च 2026 तक पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 1950 थी, जिसमें 124 वाणिज्यिक बैंक (11 एसएफबी, छह पीबी, 28 आरआरबी और दो एलएबी सहित) और 1,826 सहकारी बैंक (1,440 यूसीबी, 34 एसटीसीबी और 352 डीसीसीबी) शामिल थे।

VI.121. जमाराशि बीमा की वर्तमान व्याप्ति 'समान क्षमता और समान अधिकार' श्रेणी में रखे गए बैंक के जमा खातों के लिए ₹5 लाख प्रति जमाकर्ता है। 30 सितंबर 2025 तक, व्याप्ति सीमा

के तहत पूरी तरह से बीमाकृत जमा खातों की संख्या 291.4 करोड़ (एक वर्ष पहले 286.9 करोड़) थी, जो कुल खातों की संख्या का 97.5 प्रतिशत (एक वर्ष पहले 97.7 प्रतिशत) था। मूल्य के संदर्भ में, कुल बीमाकृत राशि ₹1,04,09,023 करोड़ (पिछले वर्ष ₹96,74,623 करोड़) थी, जो मूल्यांकन योग्य जमाराशि का 41.1 प्रतिशत (पिछले वर्ष 42.6 प्रतिशत) थी[12]। 30 सितंबर 2025 तक आरक्षित अनुपात (अर्थात, जमा बीमा निधि/ बीमाकृत जमा) 2.37 प्रतिशत (पिछले वर्ष 2.21 प्रतिशत) था। वर्तमान में, वर्ष 2025-26 के अनुसार, व्याप्ति सीमा प्रति व्यक्ति जीडीपी का 2.4 गुना है।

VI.122. डीआईसीजीसी ने जमा बीमा प्रदान करने के लिए बैंकों पर वर्ष 2025-26 के दौरान कुल मूल्यांकन योग्य जमा पर 0.12 प्रतिशत प्रति वर्ष की एकसमान दर से प्रीमियम लगाया। वर्ष 2025-26 के दौरान प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम ₹29,947 करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च 2025 को प्राप्त ₹26,764 करोड़ रुपये की तुलना में 11.9 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि दर्शाता है।

VI.123. रिज़र्व बैंक ने डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 15(1) के तहत जमा बीमा के लिए 'जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क शुरू किया है, जो बीमाकृत बैंक की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रीमियम दरों का प्रावधान करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी फ्रेमवर्क, अन्य *बातों के साथ-साथ,* टियर 1 बैंकों (आरआरबी के अलावा अन्य एससीबी) और टियर 2 बैंकों (आरआरबी, ग्रामीण सहकारी बैंक और यूसीबी) के लिए दो-स्तरीय जोखिम आधारित रेटिंग पद्धति प्रदान करता है। यह विंटेज डिस्काउंट के लाभों का भी विस्तार करता है, जो डीआईसीजीसी के डीआईएफ में बिना किसी बड़े दबाव की घटनाओं या डीआईसीजीसी से दावा भुगतान के दीर्घ योगदान को दर्शाता है। तदनुसार, बेहतर प्रबंधित बैंक प्रति वर्ष 12 पैसे प्रति 100 रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम दर से कम प्रीमियम का भुगतान करेंगे।

VI.124. डीआईसीजीसी के पास परिसमापन/समामेलन में लिए गए या सर्व-समावेशी निर्देशों के तहत रखे गए बैंको के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए एक जमा बीमा कोष (डीआईएफ) है। उक्त कोष का निर्माण प्रत्येक वर्ष इसके व्यय (जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान और संबंधित व्यय) पर इसके अधिशेष *अर्थात*, अधिशेष आय (मुख्य रूप से बीमित बैंकों से प्राप्त प्रीमियम, निवेश से ब्याज आय और विफल बैंकों की आस्तियों के परिसमापन से नकद वसूली) पर किया गया है।वर्ष 2025-26 के दौरान, निगम द्वारा निपटाए गए कुल दावों की राशि 1,989 करोड़ रुपये थी, जो सर्व-समावेशी निर्देशों के तहत परिसमाप्त / स्थापित सभी 72 यूसीबी के लिए थी। 31 मार्च 2026 तक डीआईएफ का आकार ₹2,61,823 करोड़ था, जो 31 मार्च 2025 के ₹2,28,933 करोड़ की तुलना में 14.4 प्रतिशत की व-द-व वृद्धि को दर्शाता है।

6. निष्कर्ष

VI.125. रिज़र्व बैंक ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों के विनियामकीय और पर्यवेक्षी ढांचे को और सुदृढ़ करके वित्तीय प्रणाली के संरक्षण के लिए कई उपाय किए हैं। इसी क्रम में, अन्य *बातों के साथ-साथ,* दबाव-परीक्षण फ्रेमवर्क को बढ़ाने, साइबर सुदृढ़ता और जोखिम निगरानी को मजबूत करने, वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार और नैतिक नवाचार को आगे बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

[12] निर्धारणीय जमाराशियों में (i) विदेशी सरकारों की जमाराशियों को छोड़कर सभी बैंक जमा शामिल हैं; (ii) केन्द्र/राज्य सरकारों की जमाराशियां; (iii) अंतर-बैंक जमाराशियां; (iv) भारत के बाहर प्राप्त जमाराशियां; और (v) रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशियां हैं।